



प्रेस नोट मॉनीटरिंग सैल

जनपद शाहजहांपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 23.01.2025



ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहांपुर पुलिस का सफलतम प्रयास

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत मॉनिटरिंग सेल द्वारा धारा 147,148,302,149
भादवि0 में आजीवन कठोर कारावास एवं कुल 45000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित
कराया गया ।

श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशनुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन बरेली व डॉ0 राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री राजेश एस0, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में, श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सैल, व थाना जलालाबाद पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-01 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरान्त थाना जलालाबाद में अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पुत्र को लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से मारने एवं हत्या करने के आरोपीगण 1.बालिस्टर पुत्र आशाराम 2. आशाराम पुत्र शेरू यादव 3. अवधेश पुत्र आशाराम सर्वनिवासीगण खाडें दियोरिया थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर को आजीवन कठोर कारावास एवं कुल 45000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा प्राप्त किये अभियुक्तगण का विवरण:-

आरोपीगण 1.बालिस्टर पुत्र आशाराम 2. आशाराम पुत्र शेरू यादव 3. अवधेश पुत्र आशाराम सर्वनिवासीगण खाडें दियोरिया थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर

घटना व सजा का विवरण-

मु0अ0सं0 65/2012 धारा 147,148,302,149 भादवि0 थाना जलालाबाद में अभियुक्तगणों द्वारा वादी के पुत्र को लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से मारने एवं हत्या करने के आरोपीगण 1.बालिस्टर पुत्र आशाराम 2. आशाराम पुत्र शेरू यादव 3. अवधेश पुत्र आशाराम सर्वनिवासीगण खाडें दियोरिया थाना जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर को आजीवन कठोर कारावास एवं कुल 45000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

MEDIA CELL, SHAHJAHANPUR POLICE